न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 93/22 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2022/367

अनवान्

1. श्री श्यामलाल पिता रेवाशंकर मेहता ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली।
2. श्री रंगलाल पिता नवलराम मेहता ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नानालाल पिता देवीलाल ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली।
2. श्री गणेशलाल पिता देवीलाल ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली।
3. श्री भवानीशंकर पिता देवीलाल ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली।
4. श्री जगदीश पिता नानालाल ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली।
5. श्री सुरेश पिता नानालाल ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली।
6. श्री नाथुलाल पिता गणेशलाल ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली।
7. श्री भावेश पिता भवानीशंकर ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली।
8. श्री उमेश पिता जगदीश ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली।
9. श्री विकास पिता सुरेश ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली।
10. श्री गेहरीलाल पिता हीरालाल ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली। ड्रोप
11. श्री भेरू पिता कन्नीराम ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली। ड्रोप
12. श्री जगदीश पिता कन्नीराम ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली। ड्रोप
13. श्रीमती हीराबाई पत्नी कन्नीराम ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली। ड्रोप
14. श्रीमती बन्शी पुत्री कन्नीराम ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली। ड्रोप
15. श्रीमती नोजी पुत्री कन्नीराम ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली। ड्रोप
16. श्रीमती कंकु पुत्री कन्नीराम ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली। ड्रोप
17. श्री भंवरलाल पिता भूरजी ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली। ड्रोप
18. श्री जमनाशंकर पिता मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील मावली।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
20. उप पंजीयक महोदय मावली तहसील मावली।
21. पटवारी, पटवार हल्का नूरडा तहसील मावली।
22. श्री रमेश पिता माणकलाल मेहता ब्राहम्ण निवासी नूरडा तहसील घासा।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री जितेन्द्र नागदा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2
3. श्री सुखदेवसिंह उज्जवल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3, 5, 6
4. श्री गिरजाशंकर मेहता, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 9
5. श्री ललित वसीटा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 22

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 15.05.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि नूरडा पटवार हल्का नूरडा तहसील मावली की आराजी नम्बर 971, 972 किता 2 कुल रकबा 3.2942 हेक्टेयर कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी संख्या 1 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 2 एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 एवं अन्य विपक्षीगण को उनके पिता/पति के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है, उक्त कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम 1/18 हिस्से से, प्रार्थी संख्या 2 के नाम 1/18 हिस्से से संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज हैं।
2. यह कि हम प्रार्थीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :—

3. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि तत्कालीन समय में छगनलाल पिता जोतराम उर्फ जेतराम जी ब्राहम्ण द्वारा अपनी उक्त सम्पूर्ण ह[illegible] कृषि भूमि अर्थात् अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्से का आधा अर्थात् 1/6 हिस्सा हम प्रा[illegible]ण के पूर्वजो को एवं आधा हिस्सा अर्थात्

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pu[illegible]
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

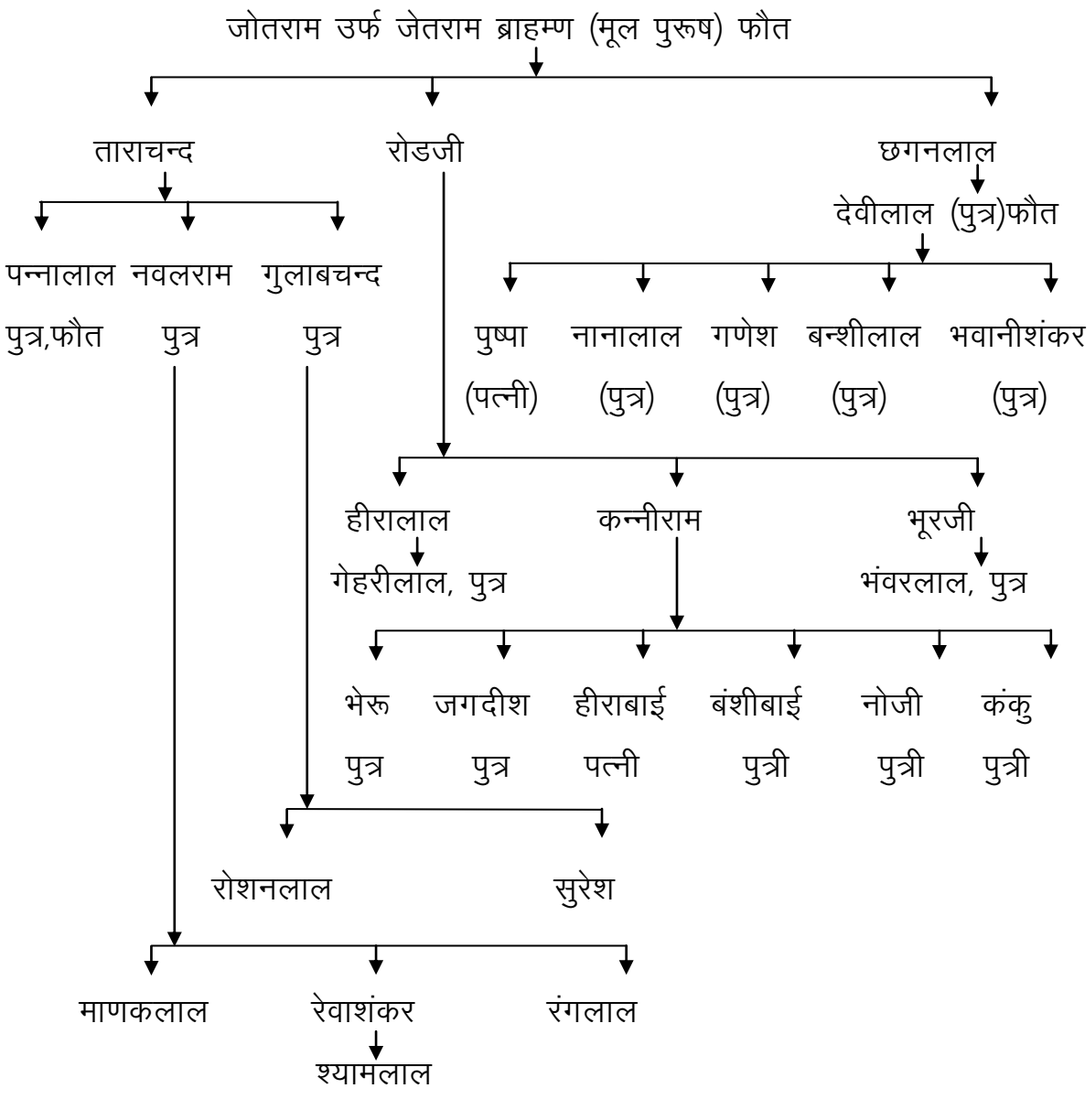

1/6 हिस्सा रोडजी को विक्रय कर दी जो लगभग 89 वर्ष पूर्व जो कि सम्वत् 1991 सावन विद तिथी 9 को कुलिया विक्रय प्रतिफल की राशि 31/– रूपया में विक्रय कर बिकाव राशि प्राप्त कर बिकाव नामा हम प्रार्थीगण के पूर्वज पन्नालाल, नवलराम व गुलाबचन्द के पक्ष में निष्पादित कर दिया तथा बिकावनामा खरीददार की खाताबही में लिखकर छगनलाल पिता जेतराम उर्फ जोतराम जी ने अपने हस्ताक्षर गवाहो की उपस्थिति में कर दिए इसी तरह विपक्षीगण संख्या 10 से लगायत 17 तक के पूर्वज रोडजी के पक्ष में भी अलग से बिकावनामा लिख सम्पादित कर दिया गया तथा मौके पर निम्न पडौसों बीच की कृषि भूमि पडौस पूर्व–रंगलाल के हिस्से का खेत। पश्चिम–सरकारी जमीन। उत्तर–पूर्व में सरकारी जमीन थी जो वर्तमान में भेरूसिंह व उनके भाईयों की हैं। दक्षिण–जमनाशंकर, भेरूलाल के हिस्से की भूमि व उसके बाद सरकारी जमीन। उपरोक्त पडौसों बीच की भूमि का कब्जा क्रेतागण यानि प्रार्थीगण के पूर्वज पन्नालाल, नवलराम व गुलाबचन्द ब्राहम्ण एवं विपक्षी संख्या 10 से लगायत 17 तक के पूर्वज रोडजी को मौके पर सिपूर्द कर दिया तथा उक्त बिकावनामा प्रार्थीगण के पूर्वजो के बहीखाता में लिखा गया था तभी से उक्त खरीदशुदा कृषि भूमि जिसके पडौस उपर अंकित किए गए है, उक्त पडौसों बीच की कृषि भूमि पर हम वादीगण के पूर्वजो के जीवनकाल में हम वादीगण के पूर्वजो एवं उनकी मृत्यु उपरान्त हम प्रार्थीगण के एवम् विपक्षीगण संख्या से लगायत तक के पूर्वज रोडजी एवं उनकी मृत्यु उपरान्त विपक्षी संख्या 10 से लगायत 17 का 1/2–1/2 अर्थात आधे–आधे हक हिस्से अनुसार स्वामित्व अधिकार आधिपत्य एवं हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में चली आ रही होकर विपक्षी संख्या 3 एवं विपक्षी संख्या 10 एवं विपक्षी संख्या 17 द्वारा अपने अपने हक हिस्से में प्राप्त हिस्सा कृषि भूमि विपक्षी संख्या 18 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी, विपक्षी संख्या 3 द्वारा किया गया हस्तान्तरण विलेख हम प्रार्थीगण के मुकाबले शून्य प्रभावी हैं।

4. यह कि हम प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा खरीद की गई हिस्सा कृषि भूमि पर वर्तमान समय तक निरन्तर निर्विवाद अधिकार आधिपत्य चला आ रहा है, हम प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा तत्कालीन समय में खरीद की गई हिस्सा कृषि भूमि पर स्वर्गीय छगनलाल के विधिक वारिसान विपक्षीगण का कोई हक स्वत्व अधिकार आधिपत्य नहीं है, केवलमात्र विपक्षीगणों का नाम नुमाईशी तौर पर राजस्व रेकार्ड में अंकित हैं। उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षीगणों के नाम नुमाईशी तौर पर संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कर विपक्षीगण अपने नाम अंकित हिस्सा कृषि भूमि को किसी अन्य को विक्रय, रहन या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने पर उतारू है और भवानीशंकर ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विपक्षी संख्या 18 जमनाशंकर को गलत रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय कर दिया गया जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं था, भवानीशंकर द्वारा अपने नाम अंकित सम्पूर्ण हक हिस्सा कृषि भूमि विपक्षी संख्या 18 को किया गया हस्तान्तरण विलेख हम प्रार्थीगण के हितो के मुकाबले शून्य बेअसर व अमान्य शून्य प्रभावी है जबकि हम प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा तत्कालीन समय में खरीद की गई हिस्सा कृषि भूमि पर हम प्रार्थीगण के पूर्वजो का उनके जीवनकाल में एवम् उनकी मृत्यु उपरान्त निरन्तर निर्विवाद अधिकार आधिपत्य हम वादीगण का चला आ रहा है, पुराने कब्जे के आधार पर भी हम प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा खरीद की गई हिस्सा कृषि भूमि के मालिक स्वामी हो गए है, उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की आजीविका का एकमात्र साधन है, हम प्रार्थीगण उपरोक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण के नाम से हटवा राजस्व रेकार्ड में रद्दोबदल करवाने के अधिकारी हैं।

5. यह कि हम प्रार्थीगण का मजबूत प्राइमाफैसी केस है तथा सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में है हम प्रार्थीगण का उक्त वर्णित कृषि भूमि पर स्वर्गीय छगनलाल जी के नाम अंकित हिस्सा कृषि भूमि जो हम प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वजो से खरीद की गई उक्त हिस्सा कृषि भूमि पर पिछले 88 वर्षों से वर्तमान समय तक निरन्तर निर्विवाद अधिकार आधिपत्य चला आ रहा है, उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर स्वर्गीय छगनलाल के विधिक वारिसान का कोई हक अधिकार आधिपत्य नहीं है, वर्तमान में जमीनों के भाव बढ जाने से विपक्षीगण के मन में लोभ व लालच की भावना उत्पन्न हो गई, लोभ व लालच की भावना से वशीभूत हो विपक्षीगण हम प्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात करते हुए हम प्रार्थीगण के हक स्वत्व अधिकार खत्म करने की चेष्ठा से नुमाईशी तौर पर अपने नाम अंकित सम्पूर्ण हक हिस्सा कृषि भूमि को अन्य अजनबी को विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू है, उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु विपक्षीगण द्वारा हम प्रार्थीगण को दिनांक 07.07.2022 को मौके पर आकर ऐलानिया धमकी दी एवं हम प्रार्थीगणों के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की एवं ऐलानिया धमकी दी कि हम उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर तुम्हे बेदखल करके रहेंगे और आए दिन लगातार हम प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकियां देते हुए आ रहे है एवं नुमाईशी तौर पर राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने से विपक्षीगण रेकार्ड व मौके की यथावत स्थिति को परिवर्तित करने पर उतारू है, जिससे हम प्रार्थीगण को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना असंभव होगा, हितो की रक्षा के लिए विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है, अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 07.07.2022 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण ने मौके पर विवाद उत्पन्न किया एवं विपक्षीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि अन्य अजनबी व्यक्तियों को हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द करने एवं हम प्रार्थीगणों को उक्त कृषि भूमि से ताकत के बल पर बेदखल करने की धमकी दी जिस पर पुलिस थाना घासा जिला उदयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.07.2022 को करवायी गई तद्पोरान्त भी विपक्षीगण मौके पर विवाद उत्पन्न कर ऐलानिया धमकीयां देते आ रहे है व उत्पन्न हुआ।

7. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्व विपक्षीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि आराजी खसरा संख्या 971 एवं 972 किता 2 कुल रकबा 3.2942 हेक्टेयर कृषि भूमि का कुलिया 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा तत्कालीन समय में खरीद की गई हिस्सा कृषि भूमि पर वर्तमान समय तक प्रार्थीगण का निरन्तर निर्विवाद अधिकार आधिपत्य चला आ रहा है, हम प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा तत्कालीन समय में खरीद की गई हिस्सा कृषि भूमि पर स्वर्गीय छगनलाल के विधिक वारिसान विपक्षीगण का कोई हक स्वत्व अधिकार आधिपत्य नहीं है केवलमात्र विपक्षीगणों का नाम नुमाईशी तौर पर राजस्व रेकार्ड में अंकित है विपक्षीगण उक्त वर्णित कृषि भूमि को किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, हम प्रार्थीगण को उक्त भूमि से जबरन ताकत के बल पर नहीं बेदखल करे, न हम प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, उक्त कार्य न स्वयं करे न उनके नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, विपक्षीगण रेकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाए रखे, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्व विपक्षीगण जारी फरमाई जावें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 10 से 17 के विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व पूर्व में कार्यवाही ड्रोप के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 4, 7, 8, 18 अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 3, 5, 6, 9, 22 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर इनके जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि सजरा खानदान गलत एवं अपूर्ण होने से अस्वीकार है जबकि वस्तुतः श्री ताराचन्द्र जी के 3 लडके पन्नालाल, नवलराम, गुलाब चन्द्र ही होना सजरे में दर्शाया है जबकि इनके एक पुत्री फुलाबाई निवासी अनोपपुरा थी जिसके दो लडके लच्छीराम, नारायण व पुत्री सुन्दर उक्त वारिसान जीवित होने के बावजूद भी इन्होने सजरा खानदान में अंकित नहीं किया। स्वर्गीय पन्नालाल की चार लडकिया श्रीमती

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

रूकमणी, श्रीमती धापु, श्रीमती हिराबाई एवं रंगुबाई एवं इनके वारिसान होने के बावजूद भी इन्हे सजरे में नही दर्शाया है एवं जोतराम जी के द्वितीय पुत्र रोड जी थे जिनके चार पुत्र हिरालाल, कनीराम, भुर जी एवं पृथ्वीराज जी हुए। पृथ्वीराज को सजरे में नहीं बताया है, चारो पुत्रो का देहावसान हो चुका है। बडे पुत्र हिरालाल के वारिसान में मात्र अकेले पुत्र गेहरीलाल को सजरे में बताया है जबकि हिरालाल जी के एक पुत्री कैलाशी को सजरे में नहीं बताया एवं जोतराम जी के बडे पुत्र छगनलाल थे जिनके पुत्र देवीलाल के वंश सजरे में देवीलाल की पत्नी एवं विपक्षी संख्या 1, 2 व पुत्र बंशीलाल को ही बताया है जबकि देवीलाल जी के तीन पुत्रीया ऐजीबाई, कस्तुरी बाई एवं सुन्दर बाई को वंश सजरे में नहीं बताया है जबकि सुन्दर बाई जीवित है एवं ऐजीबाई, कस्तुरीबाई के वारिसों को भी नहीं बताया है। अतः सजरे में प्रार्थीगणों ने जानबुझकर उक्त वारिसानों को नहीं दर्शा न्यायालय से तथ्य छुपाये हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र निरस्त होने योग्य हैं।

9. यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मूल पुरूष श्री जोतराम जी की औलाद होकर आपस में रिश्तेदार है। प्रार्थीगणों द्वारा वर्णित तथ्यों के अनुसार विपक्षीगणों के दादा श्री छगनलाल जी एवं पिता श्री देवीलाल जी ने अपने जीवनकाल में कभी भी कोई लिखतम श्री नवलराम जी के पक्ष में नहीं की व न ही उनकी हयाति में प्रार्थीगण या उनके पिता द्वारा उनके जीवनकाल में उक्त भूमि बाबत् कभी कोई उजर ऐतराज ही किया गया क्योंकि विपक्षी संख्या 1, 2 अपनी समझ व अपने पिता श्री देवीलाल जी हयाति से उक्त आराजी भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विदित रहे कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखतम खाम कागज पर हो उक्त लिखापढी में इन आराजीयात 971, 972 का कही कोई हवाला या जिक्र नहीं है। रकबा भी गलत तरीके से अंकित किया गया हैं। प्रार्थीगण फर्जी लिखतम के आधार पर विपक्षी संख्या 1 व 2 की भूमि हडपने पर आमादा हैं। उक्त लिखापढी में वर्णित पडौसान भी पूर्णतया गलत होकर पूर्व दिशा में वर्णित पडौस रंगलाल का कभी रहा ही नहीं, ना ही हम विपक्षीगणों की शेष अन्य आराजीयात में भी कही भी पूर्व दिशा में पडौस रंगलाल का है जबकि आराजी नम्बर 971, 972 में पूर्व दिशा में आराजी नम्बर 970 है जो कि केसरलाल पिता श्री चम्पालाल ब्राहम्ण का हैं एवं उक्त आराजीयात 971 के पश्चिम दिशा के पडौस आराजी नम्बर 444 किस्म बिलानाम है एवं 972 के पश्चिम पडौस में आम रास्ता है व उत्तर में राजपूतो की भूमि एवं दक्षिण में आम रास्ता है इस प्रकार प्रार्थीगणों द्वारा लिखतम में बताये गये पडौस एवं आराजी नम्बर 971, 972 के पडौसों में अन्तर है। इस प्रकार उक्त लिखापढी हम विपक्षीगणों की भूमि को हडपने की गरज से कूट रचित रूप से तैयार की गई हैं। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात बाबत् विपक्षी गण 1, 2 के पिता एवं दादाजी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगणों के पूर्वजो के हक में कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया है ना ही कब्जे का हस्तान्तरण ही किया गया हैं। वर्तमान में उक्त आराजीयात पूर्ण रूप से हम विपक्षी संख्या 1, 2 के पिता देवीलाल ने भी उक्त भूमि को रहन रख कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भुवाणा से लोन प्राप्त किया था एवं नानालाल जी के पिता श्री देवीलाल के द्वारा सन् 2016 में उक्त आराजीयात पर सिंडिकेंट बैंक शाखा खेमली को रहन रख कर लोन प्राप्त किया। तब भी प्रार्थीगणों एवं उनके पूर्वजो द्वारा कभी भी इन आराजीयात बाबत् आपत्ति नहीं की एवं देवीलाल जी के पुत्र भवानीशंकर द्वारा उक्त आराजीयात में अपना हिस्सा बिकाव किया तब भी प्रार्थीगणों द्वारा कोई उजर नहीं किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगणों का उक्त भूमि से कभी कोई सरोकार नहीं रहा है न ही उनके पूर्वजो द्वारा अपने जीवनकाल में इन आराजीयात बाबत् ऐसी कोई खरीद की बात सम्बन्धी आपत्ति उठाई गई जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगणों द्वारा विपक्षीगणों को नाजायज रूप से परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं हैं।

10. यह कि विपक्षीगण के पिता एवं दादा जी ने वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भू भाग को कभी भी प्रार्थीगणों के पूर्वजो को विक्रय नहीं किया गया है। न ही मौके पर प्रार्थीगण काबिज हैं जबकि वस्तु स्थिति यह है कि विपक्षीगण अपने हक हिस्से अनुसार पूर्व की तरफ काबिज है। उक्त भूमि का पूर्ण रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है ऐसी स्थिति में विपक्षीगण के किसी भी हिस्से बाबत् प्रार्थीगण उनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजीयात विपक्षीगण के हिस्से में प्रार्थीगण का कोई हक एवं हिस्सा या अधिकार नहीं होने के बावजूद करीबन 4–5 वर्ष पूर्व प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 1014 में विपक्षीगणों का रास्ता बन्द कर दिये जाने से विपक्षीगणों द्वारा प्रार्थीगणों के विरूद्व न्यायालय में रास्ते का वाद प्रस्तुत किया जिसकी द्वेषता से प्रार्थीगण द्वारा इस प्रकार फर्जी लिखतम तैयार कर विपक्षीगणों को जबरन परेशान करने की नियत से हस्तगत वाद आप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जबकि विपक्षीगणों के दादाजी द्वारा प्रार्थीगणों के पूर्वजो के पक्ष में कभी भी कोई लिखतम नहीं की ना ही जमीन का हस्तान्तरण किया हैं। उक्त आराजीयात में विपक्षीगणों के स्वामित्व आधिपत्यधारी होकर जन्म से ही इसका उपयोग उपभोग कर रहे है। विपक्षीगणों को इस प्रकार उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण रूप से अधिकार हैं। उन्हे इस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता हैं। प्रार्थीगणों द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में एकतरफा तथाकथित लिखतम को आधार बनाया है। वही दूसरी तरफ दावें में प्रतिकूल कब्जा होने का आधार लिया हैं। ऐसी सूरत में प्रार्थीगणों द्वारा लिये गये उजारात आधारहीन एवं विरोधाभासी होकर प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य हैं। उक्तानुसार वर्ष उपयोग उपभोग अपने हिस्से अनुसार पूर्ण रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण संख्या 1, 2 करते आ रहे हैं। ऐसी दृष्टि में प्रार्थीगणो द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्व नहीं होता है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगणों के पक्ष में नहीं हैं। यदि हस्तगत प्रकरण को विपक्षीगणों के विरूद्व निर्णित किया जाता है तो विपक्षीगणों को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगणों के पक्ष में नहीं हैं।

11. यह कि विपक्षीगणों के दादाजी श्री छगनलाल जी द्वारा प्रार्थीगणों के पूर्वजो के पक्ष में ऐसी कोई लिखतम निष्पादित नहीं की गई। ना ही उक्त भूमि का बेचान छगनलाल जी द्वारा किया गया अगर छगनलाल जी ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि का बेचान किया होता तो प्रार्थीगण के पूर्वज उक्त भूमि को अपने नाम पर करवाने की कार्यवाही करवाते जबकि प्रार्थीगण के पूर्वजो ने ऐसी किसी लिखतम के आधार पर उक्त भूमि को अपने नाम पर करवाने की कार्यवाही अपने जीवनकाल में नहीं की जबकि विपक्षीगणों का उक्त आराजीयात पर अपने दादा एवं अपने पिता के जीवनकाल से ही यानि अपने जन्म से ही उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। निरन्तर उक्त भूमि पर अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात आज भी विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज चली आ रही हैं। विपक्षीगणों का कभी भी विपक्षीगणों के हिस्से में कोई कब्जा नहीं रहा हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों के आधारों से चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावें। चूंकि विपक्षीगणों का अपने पूर्वजो के समय से उपयोग उपभोग में हैं। प्रार्थीगणों द्वारा नाजायज रूप से परेशान करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं हैं।

12. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार सलुबाई बेवा पन्नालाल के चार वारिसान है यानि चार लडकिया श्रीमती रूकमणी, श्रीमती हिरा, श्रीमती धापु व श्रीमती रंगुबाई होने के बावजूद उपरोक्त प्रार्थीगण ने धोखाधडी पूर्वक सलुबाई के फौत होने के वर्षों बाद केवल मात्र रूकमणीबाई व हिराबाई के नाम पर नामान्तरण करवा सलु बाई के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का हस्तान्तरण अपने नाम पर करवा लिया जबकि धापुबाई व रंगु बाई के वारिसान आज भी जीवित है व उक्त आराजीयात के हक हिस्सेदार हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण धोखाधडी करने में माहिर है। धोखाधडी कर पूर्व में भी सलु बाई के अन्य वारिसान को छुपाकर सम्पूर्ण भूमि अपने नाम पर करवा ली और इसी हक त्याग पत्र दिनांक 07.04.2010 से प्रार्थीगण उक्त आराजीयात के खातेदार बने है पहले इनके नाम पर उक्त आराजीयात कभी रही नहीं। ठीक इसी प्रकार विपक्षीगण की भूमि को भी इस फर्जी लिखतम के आधार पर हडपना चाहते है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः सव्यय खारिज फरमाया जावे। उपरोक्त पत्र प्रार्थीगणों द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में स्वयं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shri Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगणों ने हम विपक्षीगणों को उक्त भूमि का खातेदार माना है एवं हम विपक्षीगण अपने हक एवं हिस्सेनुसार उक्त भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे हैं। कानूनन रेकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

13. **प्रार्थीगण द्वारा जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया** कि विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त बिकावनामा में आराजी नम्बर 971, 972 के हवाला नहीं देने के सम्बन्ध में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि वादग्रस्त बिकावनामा आज से करीब 90 वर्ष पूर्व निष्पादित किया था उस वक्त पूर्व सेटलमेन्ट के अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी नम्बर साबिक नम्बर नहीं थे तथा भूमाप की ईकाई भी अलग थी उस वक्ता भूमि का नाप 132 फीट 1 जरीब के हिसाब से भूमि का नाप चोक किया जाता था जिस कारण बिकावनामा के वक्त जो पडौस वर्णित किये थे तत्कालीन पडोसो के अनुसार किये थे जो उस समय के अनुसार सही थे तथा 90 वर्ष पूर्व की भूमाप की ईकाईया सही तरीके से खातेदार को ध्यान में नहीं थी केवल मात्र कब्जे काश्त के आधार पर ही भूमि का लेनदेन किया जाता था तथा करीब 90 वर्ष पूर्व में बिकावनामा निष्पादित होने से एवं देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भूमि पूर्नगठन भी उक्त बिकावनामें के बाद संचालित हुआ था जिस कारण आराजी नम्बर का निर्धारण उस समय नहीं था तथा वल्लभ भाई पटेल द्वारा रियासत का विमोचन करने से एवं विपक्षीगण के पूर्वज अनपढ होने से आराजी नम्बर व रकबे से पूर्णतः अनभिज्ञ होने से तत्कालीन विक्रेता द्वारा उक्त कब्जे काश्त की जमीन का बिकावनामा क्रेताओ अर्थात हम प्रार्थीगण के पूर्वजो के पक्ष में वादग्रस्त बिकावनामें के आधार पर किया गया बिकावनामा में ईबारत के अनुसार विक्रय मूल्य में वर्णित कुलिया राशि प्राप्त कर कब्जा सिपूर्द किया तथा उक्त जमीन पर कब्जा हम प्रार्थीगण के पूर्वजो के पक्ष में कब्जा स्थानान्तरण किया, विपक्षी सहमति स्वरूप तत्कालीन विक्रेताओ ने अपनी सहमति अपने हस्ताक्षर से की, उसी समय से हम प्रार्थीगण तत्कालीन खातेदार को उक्त वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में पंजीयन सम्बन्धी सभी शर्ते पूर्ण होने से उक्त दस्तावेज ईकरार की श्रेणी में नहीं आकर बिकावनामें की श्रेणी में आता है केवल मात्र उक्त दस्तावेज को ईकरार के रूप में नहीं पढा जा सकता, बिकावनामा की दिनांक से हम प्रार्थीगण के पूर्वजो से लगाकर आज तक कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे है केवल मात्र कानूनी जानकारी के अभाव में नामान्तरण की कार्यवाही नहीं होने से विपक्षीगण के पूर्वजो के नाम चली आ रही है जबकि बिकावनामा निष्पादित से आज तक हम निर्विवाद रूप से खेती करते आ रहे है बिकावनामा के समय आराजी नम्बर 971 व 972 का तत्कालीन राजस्व रेकार्ड में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं था न ही विक्रेता उक्त आराजीयात के खातेदार थें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

14. यह कि हम प्रार्थीगण विपक्षीगण की जानकारी से उक्त जमीन से कब्जे काश्त करते आ रहे है उक्त जमीन पर हम प्रार्थीगणों का द्वेषतापूर्ण कब्जा था विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में 4–5 वर्ष पूर्व विवाद किया गया वो विवाद हमारे बीच करीब 20–25 वर्षों से है जिसकी जानकारी विपक्षीगण को भलीभांति है इन 20–25 वर्षो से हम प्रार्थीगणों के कब्जे की जानकारी के उपरान्त विपक्षी ने हमारे विरूद्व कोई न्यायिक कार्यवाही हमारे विरूद्व उक्त बिकावनामें व उक्त आराजीयात के कब्जे काश्त के सम्बन्ध में कही पर भी कोई न्यायिक कार्यवाही थाने कोर्ट कचहरी में नहीं की है तथा ऋण लेने के सम्बन्ध में हम प्रार्थीगण को जब पता चलने पर उक्त ऋण के सम्बन्ध में संबंधित बैंक में ईसकी मौखिक शिकायत की जिस पर ऋण की पुनः वसुली करते हुए जमीन को रहन मुक्त किया गया इसके बाद भी विपक्षीगण द्वारा किसी भी तरह कि हमारे विरूद्व कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की गई। विपक्षीगण द्वारा जिस लिखतम को निष्पादित होना बताया है व वास्तव में लिखतम न होकर पूर्ण रूप से बिकावनामा है क्योंकि उक्त बिकावनामा पंजीयन अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार किसी भूस्वामी द्वारा अपने हक व अधिकार के जमीन का बिकावनामा सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर एवं कब्जा स्थान्तरण होने के बाद बिकावनामा निष्पादित किया जाता है तो उसका पंजीयन आवश्यक नहीं है क्योंकि खातेदार द्वारा अपने हक हिस्से बाबत् सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि अपने हस्ताक्षर से प्रदान की है पूर्व में निष्पादित बिकावनामें में वर्णित विक्रेता केवल एक ही परिवार के सदस्य होकर उक्त वाद वर्णित आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज होकर खेती करते आ रहे है उक्त बिकावनामा तत्कालीन समय में पारिवारिक समझौते के तहत निष्पादित किया गया था जिस कारण भी उस उक्त दस्तावेज की पंजीयन की आवश्यकता नहीं रहती है तथा विपक्षीगण द्वारा जो उजर किये गये है वों सभी साक्ष्य से साबित होगें। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि हम प्रार्थीगण का उक्त जवाब उल जवाब न्यायहित में रेकार्ड पर लिया जावें।

15. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नूरडा पटवार हल्का नूरडा के आराजी नम्बर 971, 972 राजस्व रिकार्ड में विपक्षीगणों के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज है वर्तमान खातेदारों के उक्त प्रार्थना पत्र में विपक्षी के तौर पर संयोजित किया गया है न्यायालय द्वारा जरिये सम्मन सूचित किया जाकर विपक्षीगणों की ओर से आप द्वारा न्यायालय में उपस्थिति दी जा चुकी हैं व विपक्षीगणों की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक को पेश कर दिया हैं। पूर्व में उक्त जमीन में छगनलाल पिता जोतराम उर्फ जेतराम जी ब्राहम्ण के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] छगनलाल पिता जोतराम उर्फ जेतराम द्वारा वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में एक बिकावनामा प्रार्थीगण के पूर्वज पन्नालाल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

नवलराम व गुलाबचन्द के पक्ष में निष्पादित किया था बिकावनामें कि अहर्थाओं के अनुसार बिकाव की जाने वाली जमीन की कुलिया कीमत तय कि गयी तथा कुलिया रकम का बिकावनामें के निष्पादन के समय विक्रेताओं को दी गयी तथा क्रेताओं द्वारा विक्रय राशि की प्राप्त करने की अभिस्वीकृति के उपरान्त तत्कालीन विक्रेताओं को कब्जा व दस्तावेज व असल बिकावनामा सिपूर्द किया गया इस तरह विक्रय के प्रत्येक शर्तों की पालना के साथ साथ उक्त बिकावनामा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व दिनांक सावन विद तिथी नवम् सम्वत् 1991 में निष्पादित किया गया कानूनन उक्त बिकावनामें के पंजीयन की जानकारी कानूनी जानकारी के अभाव में न तो क्रेता को ना ही विक्रेता के ध्यान में थी जिस कारण उक्त बिकावनामें का कोई दस्तावेजी पंजीयन नहीं हो सका उक्त बिकावनामा 31/– रूपये की कुलिया राशि तय कर निष्पादित किया गया था विधी का यह सुस्थापित नियम है कि किसी दस्तावेज या बिकावनामें का मूल्यांकन 100/– रूपये से कम हो तो उक्त दस्तावेज का पंजीयन अनिवार्य नहीं हो जाता तथा उक्त बिकावनामा राजस्थान पंजीयन के लागु होने से पूर्व निष्पादित किया जाना होने के वजह से वैध दस्तावेज है उक्त बिकावनामा के आधार पर हम प्रार्थीगण का स्वामित्व व आधिपत्य उक्त भूमि में निहित हो गया है जिस कारण हम प्रार्थीगण विपक्षीगणों के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि प्रार्थीगणों को उक्त जमीन से बेदखल नहीं करे तथा उसके उपयोग उपभोग में व्यवधान नहीं करें।

16. यह कि प्रार्थीगण विपक्षीगणों के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित बिकावनामें के आधार पर राजस्व जमीन में रद्दोबदल हम प्रार्थीगणों के पक्ष में नहीं हुआ केवल मात्र नामान्तरण के आधार पर हम प्रार्थीगणों को हमारे हक व हिस्सों से महरूम नहीं किया जा सकता क्योंकि नामान्तरण केवल मात्र भूमि के वित्तीय निर्धारण हेतु उपयोग उपभोग में लाया जाता है नामान्तरण के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भूमि का खातेदार नहीं माना जा सकता है परन्तु विपक्षीगण नामान्तरण के आधार पर उक्त जमीन पर आगे से आगे हस्तान्तरण करने पर उतारू हो रहे है कुछ हिस्सा विपक्षीगणों ने अपने नाम होने का गलत फायदा उठाते हुए अन्य को विक्रय कर दी है जिस कारण भी न्यायिक पैचिदगीया या कार्यवाही की बाहुलिता को रोकने के लिए भी न्यायालय अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए विपक्षी/खातेदार के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकता है विवादग्रस्त भूमि एवं इनऐबिसियों भूमि का सरंक्षण न्यायालय द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा से किया जा सकता हैं ताकि वाद के विचारण के दौरान भूमि का सरंक्षण किया जाये न्यायालय का ये दायित्व भी होता है कि पक्षकारो के हितो के निर्धारण के लिए [illegible] भूमि का सरंक्षण मूल वाद तक किया जावें। उक्त भूमि के सम्बन्ध में निष्पादित [illegible]वनामा सम्वत् 1991 से आज दिन तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

करीब 90 का समय व्यतीत हो चुका है उक्त कब्जा निरन्तर निर्बाध रूप से विपक्षीगणों की जानकारी में चला आ रहा है जिस कारण भी हम प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि पर कानूनन स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी हो गये है विपक्षीगणों ने प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज के अवैध एवं उसके निरस्तीकरण के सम्बन्ध में आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त बिकावनामें की जानकारी विपक्षीगणों को पूर्व में थी इस कारण हम प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि विपक्षीगण उक्त जमीन का मूल वाद के निस्तारण तक बेचान, हस्तान्तरण एवं खुर्द बुर्द नहीं करें।

17. यह कि विपक्षीगणो की ओर से बिकावनामें के सम्बन्ध में एवं उसके फर्जी एवं बनावटी होने के सम्बन्ध में कोई तथ्य न्यायालय में प्रकट नहीं किया विपक्षीगणों द्वारा केवल मात्र बिकावनामें वर्णित पडौसों के सम्बन्ध में ऐतराज प्रकट किया था जिसका विस्तृत जवाब हम प्रार्थीगणों द्वारा जवाब उल जवाब के माध्यम से दिया गया उक्त जमीन पुनः कथन के पूर्व कर दी गयी थी उस वक्त जमीन के माप की ईकाई बिस्वा एव ंबीघा में नहीं थी तथा उस वक्त तत्कालीन खातेदारों एवं पडौसों के मध्य की भूमि को अंकित करते हुए बिकावनामा निष्पादित किया गया था। यह कि विपक्षीगणों द्वारा जिस साबिक नम्बर का उजर ऐतराज किया है वो साबिक नम्बर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा रियासतो के विलोपन के उपरान्त जमीन पुर्नगठन के दौरान आंवटित किये गये थे जबकि उक्त बिकावनामा विलोपन की कार्यवाही के उपरान्त ही निष्पादित किया जा चुका था विपक्षीगणों का उक्त जमीन पर कब्जा नहीं होने से हम प्रार्थीगण विपक्षीगणों के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। विपक्षीगण द्वारा जिस लिखतम को निष्पादित होना बताया है वह वास्तव में लिखतम न होकर पूर्ण रूप से बिकावनामा है क्योंकि उक्त बिकावनामा पंजीयन अधिनियम की धारा 17(2) के अुनसार किसी भूस्वामी द्वारा अपने हक व अधिकारों के जमीन का बिकावनामा सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर एवं कब्जा स्थानान्तरण होने के बाद बिकावनामा निष्पादित किया जाता है तो उसका पंजीयन आवश्यक नहीं है क्योंकि खातेदार द्वारा अपने हक हिस्से बाबत् सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि अपने हस्ताक्षर से प्रदान की है पूर्व में निष्पादित बिकावनामें में वर्णित विक्रेता केवल एक ही परिवार के सदस्य होकर उक्त वाद वर्णित आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज होकर खेती करते आ रहे है उक्त बिकावनामा तत्कालीन समय में पारिवारिक समझौते के तहत निष्पादित किया गया था जिस कारण भी उस उक्त दस्तावेज पंजीयन की आवश्यकता नहीं रहती है तथा विपक्षीगण द्वारा जो उजर किये गये है वो सभी साक्ष्य से साबित होगें, इसलिए ऐसी दृष्टि में प्रार्थी[illegible] प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध होने से एवं सुविधा संतुलन भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में है [illegible] से हस्तगत प्रकरण को हम प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्व निर्णित किया जाता है तो हम प्रार्थीगणों को अपूरणीय क्षति होगी। स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगणों को किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति नहीं होने वाली हैं।

18. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित बिकावनामा सम्वत् 1991 से हम प्रार्थीगण स्वामित्व व आधिपत्यधारी हो गये है प्रार्थना पत्र में वर्णित बिकावनामा वैध दस्तावेज होकर विधि द्वारा बाधित नहीं है उक्त जमीन पर हम प्रार्थीगण एवं हमारे बाप दादा 90 वर्षों से कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे है प्रार्थीगण द्वारा उक्त जमीन पर हमारे उपयोग उपभोग बाबत विपक्षीगणों द्वारा उजर ऐतराज एवं थाना, कोर्ट कचहरी में कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिस कारण हम प्रार्थीगणों पर उक्त वादग्रस्त भूमि का प्रथम दृष्टया मामला बनता है बिकावनामें के वैध दस्तावेज होने से एवं वर्तमान में अस्तित्व में होकर विपक्षीगणों द्वारा उक्त दस्तावेज के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जिस कारण सुविधा संतुलन भी हम प्रार्थीगणों के पक्ष में है विपक्षीगणों को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद नहीं किया गया तो विपक्षीगणों द्वारा उक्त भूमि से हमे बेदखल करने की कोशिश की जायेगी तथा भूमि का हस्तान्तरण करने की पूरी–पूरी सम्भावना है जिसका निर्धारण रूपये पैसे में नहीं किया जायेगा। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी नम्बर 971, 972 किता 2 कुल रकबा 0.2942 हेक्टेयर कृषि भूमि का 1/3 हिस्सा तत्कालीन समय से खरीदशुदा कब्जे काश्त होने से निर्विवाद अधिकार आधिपत्य चला आ रहा है हम प्रार्थीगण की क्रय की गयी कृषि भूमि पर छगनलाल जी के विधिक वारिसान का कोई स्वत्व अधिकार आधिपत्य नहीं है इसलिए विपक्षीगण को उक्त कृषि भूमि किसी अन्य को विक्रय रहन बैह बक्षीस नहीं करे एवं इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा विपक्षीगणों के विरूद्व जारी करे जिससे वो वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त भूमि का उपयोग उपभोग हम प्रार्थीगणों को निर्बाध रूप से करने दे एवं मौके एवं रेकार्ड की मूल वाद के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखें।

19. **विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया** कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नूरडा पटवार हल्का नूरडा तहसील मावली में स्थित कृषि भूमि जिसके खाता संख्या 149 व पुराने 106 होकर आराजी संख्या 971, 972 किता 2 कुल रकबा 3.2942 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज होकर श्री छगनलाल पिता जोतराम ब्राहम्ण द्वारा उक्त सम्पूर्ण हक हिस्सा कृषि भूमि का आधा हिस्सा प्रार्थीगण के पूर्वजो को तथा आधा हिस्सा रोडजी को विक्रय कर सम्वत् 1991 सावण विद 9 को राशि 31/– रूपये में विक्रय कर बिकावनामा प्रार्थीगण के [illegible]नालाल, नवलराम, गुलाबचन्द के पक्ष में विक्रय कर बिकावनामा खातेबही में लिख दि[illegible] इसी तरह विपक्षीगण संख्या 10 से 17

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

तक के पूर्वज रोडजी के पक्ष में भी अलग से बिकावनामा निष्पादित किया गया तथा लिखतम में वर्णित पडौसान के बीच स्थित भूमि का कब्जा सुपुर्द करने का तथ्य अंकित कर वादग्रस्त भूमि पर 88 वर्षों से अपना कब्जा होने से उक्त लिखतम एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा के वाद के साथ ही हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में इस आशय की ईमदाद चाही गयी है कि छगनलाल जी द्वारा विक्रय की गयी उपरोक्त आराजी भूमि का कोई हिस्सा विपक्षीगण रहन, बैह, बक्षीस या किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे और प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। उक्त आराजी भूमि को विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी श्री छगनलाल जी ने कभी भी पन्नालाल, नवलराम, गुलाबचन्द या अन्य किसी को रहन, बैह, बक्षीस या किसी प्रकार से अंतरित नहीं की गयी है तथा वर्तमान में उक्त आराजी का आधिपत्य विपक्षीगण संख्या 1 व 2 तथा समान हिस्सा जमनाशंकर के पास होकर सभी इसका शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण ने सजरा खानदान भी गलत एवं अपूर्ण अंकित किया है जबकि वस्तुतः श्री ताराचन्द के तीन लडके पन्नालाल, नवलराम, गुलाबचन्द व एक लडकी तुलाबाई निवासी अनोपपुरा थी जिसके दो लडके लच्छीराम, नारायण व पुत्री सुन्दरबाई जीवित होने के बावजूद उनका अंकन नहीं किया गया हैं। श्री पन्नालाल को लाऔलाद बताया गया है जबकि इनके चार लडकिया श्रीमती रूकमणी, श्रीमती धापु व श्रीमती हीराबाई और श्रीमती रंगुबाई होने के बावजूद इन्हे सजरे में नहीं दर्शाया है, इसी प्रकार श्री रोडजी के चार पुत्र हीरालाल, धनीराम, भूरजी एवं पृथ्वीराज होने के बावजूद पृथ्वीराज को सजरा खानदान में दर्शित नहीं किया हैं। इसी प्रकार रोडजी के लडके हीरालाल के एक लडका गेहरीलाल बताया है जबकि हीरालाल के एक पुत्री कैलाशी हो सजरे खानदान में पक्षकार नहीं बताया गया है साथ ही छगनलाल के पुत्र देवीलाल के तीन पुत्रीया सुन्दरबाई, ऐजीबाई, कस्तुरीबाई व उनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाकर पक्षकारों का कुसंयोजन किये जाने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य हैं।

20. यह कि इसी प्रकार प्रार्थीगण द्वारा जिस तथाकथित खाम कागज पर लिखी गयी लिखतम के आधार पर वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह पूर्ण रूप से कयासी होकर उक्त लिखतम में किसी आराजी नम्बर का उल्लेख नहीं है तथा क्षेत्रफल भी गलत तरीके से अंकित होकर लिखापढी में वर्णित पडौसान भी विपक्षीगण की उक्त आराजी संख्या 971 व 972 से मेल नहीं खाते हैं। उक्त आराजीयात की पूर्व दिशा में श्री रंगलाल का कभी पडौस नहीं रहा है न अभी है, साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त आराजी के दर्शाये गये समस्त पडौस मिथ्या व बेबुनियाद है क्योंकि विपक्षीगण की उक्त आराजी संख्या 971 व 972 के पूर्व दिशा में आराजी संख्या 970 है जो कि केसर लाल पिता चम्पालाल ब्राह्मण की होकर आराजी संख्या 971 के पश्चिम दिशा में आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 944 किस्म बिलानाम तथा आराजी संख्या 972 के पश्चिम पडौस में आम रास्ता व उत्तर में राजपूतों की भूमि तथा दक्षिण में भी आम रास्ता होने के बावजूद प्रार्थीगण द्वारा गलत तरीके से विपक्षीगण की उपरोक्त आराजीयात को हडप करने की गरज से कुटरचित दस्तावेज के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। उक्त लिखतम में किसी आराजी का कोई वर्णन नहीं होने के बावजूद प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 971 व 972 बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि कपोल कल्पित आधार पर होने से प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तथाकथित लिखतम कयासी आधारो पर होकर पूर्णरूप से अस्पष्ट हो फर्जी दस्तावेज होकर ऐसा कोई दस्तावेज विपक्षीगण के दादा श्री छगनलाल जी द्वारा निष्पादित नहीं किया गया और न ही प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों के पास उक्त आराजी का कब्जा ही था, ना ही प्रार्थीगण द्वारा इतने वर्षों तक उपरोक्त आराजीयात बाबत कोई उजर ऐतराज ही किया गया है जबकि सम्वत् 1991 के पश्चात मावली तहसील के काश्त की आराजीयात भूमि का भू प्रबन्धक विभाग द्वारा दो बार पैमाईश की जा चुकी है ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थीगण या इनके पूर्वाधिकारियों के पास उक्त तथाकथित लिखतम या मौके पर आधिपत्य होता तो उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों के नाम पर दर्ज की जा चुकी होती। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त भूमि विपक्षीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर सम्वत् 2060 मे विपक्षीगण के पिता श्री देवीलाल जी द्वारा उक्त आराजी भूमि पर सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण प्राप्त किया गया तथा उक्त ऋण की अदायगी विपक्षीगण द्वारा कर भूमि को ऋण से बागुजाश्त करवाया गया तत्पश्चात् विपक्षी संख्या 1 श्री नानालाल द्वारा वर्ष 2015 में सिंडीकेट बैंक से ऋण प्राप्त किया गया जिसकी पुनः अदायगी वर्ष 2020 में उनके द्वारा की गयी साथ ही यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 4 श्री भवानीशंकर पिता देवीलाल जी द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा वर्ष 2012 में श्री जमनाशंकर पिता मोहनलाल जी को विक्रय कर मौके पर भौतिक आधिपत्य सुपुर्द कर दिया गया तदनुसार श्री जमनाशंकर भी अपने हिस्से पर काबिज हो काश्त कर रहे है। ऐसी स्थिति में जहां कि प्रार्थीगण उक्त आराजीयात के न तो खातेदार काश्तकार है ना ही मौके पर उनका भौतिक आधिपत्य ही है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है और न ही उन्हे किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति ही होने वाली हैं।

21. यह कि उक्त प्रकरण में न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना आवश्यक है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है या नही तो यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रार्थी द्वारा जिस तथाकथित अनरजिस्[illegible] स्टाम्पड लिखतम को पेश की गयी है उसमें किसी आराजी नम्बर या चिन्हित [illegible] के मध्य की कोई आराजी भूमि स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

नहीं है तथा भूमि का कोई विशेष विवरण भी नहीं दिया गया हैं, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखतम साक्ष्य ग्राह्य नहीं होकर इस स्टेज पर किसी भी तरह से मानने योग्य नहीं है तथा मौके पर प्रार्थीगण का आधिपत्य हो ऐसा भी कोई दस्तावेज या गांव, पडौस के मौतबीरान के शपथ पत्र से भी अपने प्रार्थना पत्र को सम्पुष्ट नहीं किया गया हैं। साथ ही यह भी निर्विवाद है कि मौजा नूरडा में स्थित आराजी संख्या 971, 972 का श्री छगनलाल जी द्वारा कभी पन्नालाल, नवलराम, गुलाबचन्द को विक्रय नहीं किया गया है न ही भौतिक आधिपत्य ही सुपुर्द किया गया है जबकि यह निर्विवाद विषय है कि आराजी संख्या 972, 972 विपक्षीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियो के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की भूमि होकर मौके पर आज भी विपक्षीगण का आधिपत्य चला आ रहा है इस बात का स्पष्टीकरण विपक्षीगण द्वारा स्पष्ट रूप से किया गया है कि उक्त आराजी भूमि विपक्षीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की होने से विपक्षीगण के पिता द्वारा सम्वत् 2060 में भूमि विकास बैंक से ऋण प्राप्त किया तथा श्री नानालाल विपक्षी संख्या 1 द्वारा वर्ष 2015 में सिंडीकेट बैंक से ऋण प्राप्त कर उसकी पुर्नअदायगी की गयी है, यही नहीं यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि वादग्रस्त आराजीयात विपक्षीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की होने से विपक्षीगण के भाई विपक्षी संख्या 4 श्री भवानीशंकर पिता देवीलाल द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा वर्ष 2012 में जमनाशंकर पिता मोहनलाल को विक्रय कर उन्हे मौके पर भौतिक आधिपत्य सुपुर्द किया तदनुसार श्री जमनाशंकर का भी उक्त आराजी के अपने हिस्से पर कब्जा होकर वह काश्त करता चला आ रहा है लेकिन विदित रहे कि तथाकथित लिखतम पर उक्त आराजी की घोषणा चाहने वाले प्रार्थीगण द्वारा कभी भी विपक्षीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य के बारे में कोई उजर ऐतराज कभी नहीं किया गया लेकिन वर्ष 2020 में आराजी संख्या 1014 में प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण का रास्ता बंद किये जाने से विपक्षीगण ने सिविल न्यायालय में प्रार्थीगण के विरूद्व वाद प्रस्तुत किया उसके बाद तथाकथित उक्त फर्जी अनरजिस्टर्ड, अनस्टाम्पड लिखतम के आधार पर यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं होने से प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य हैं।

22. यह कि जहां तक सुविधा संतुलन का प्रश्न है विपक्षीगण उपरोक्त आराजी संख्या 971 व 972 पर काबिज होकर अपने पूर्वजो के समय से काश्त करते चले आ रहे है लेकिन प्रार्थीगण ने हस्तगत वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अपने विधिक सलाहकारों की सलाह लेकर विपक्षीगण के विरूद्व पुलिस थाना घासा में दिनांक 13.07.2022 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 447, 330, 506, 504 भा.द.संहिता के तहत दर्ज करवायी जिसकी एफआईआर नम्बर 100 होकर झूठे तथ्यों के आधार पर विपक्षीगण को कलपिट करने की कोशिश की गयी लेकिन जांच अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा अपने कुलिया अनुसंधान व उपलब्ध साक्ष्य से पाया कि नानालाल व गणेशलाल द्वारा वादग्रस्त आराजी पर ज्वार की फसल बोने पर प्रार्थी श्यामलाल ने कानूनी सलाहकारो से सलाह मशवरा कर रिपोर्ट बढा चढाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व यह झूठा प्रकरण दर्ज कराना पाया गया जबकि मौके पर न तो कोई मारपीट हुई और ना ही हथियार दिखाकर धमकाना पाया गया, सम्पूर्ण तफतीश से प्रार्थी श्यामलाल, रंगलाल, सत्यनारायण व गौतमलाल के साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होनी पायी गयी। केवल प्रार्थी पक्ष ने अप्रार्थीगण को दबाने के लिए उक्त प्रकरण दर्ज कराना पाया गया हैं। प्रकरण हाजा में मामला एफ. आर. अदम वकुआ झूठा पाया गया होने से उक्त प्रकरण में अदम वकुआ झूठा एफ.आर. न्यायालय एसीजेएम मावली के समक्ष दिनांक 25. 08.2022 को पेश की गयी जिसके एफ.आर. नम्बर 01 हैं। साथ ही यह स्पष्ट है कि मौके पर विपक्षीगण का कब्जा होने से खातेदार श्री भवानीशंकर द्वारा जमनाशंकर को वर्ष 2012 में अपने हिस्से का विक्रय कर भौतिक आधिपत्य उन्हे सुपुर्द कर दिया जो कब्जेकाश्त है तथा विपक्षी संख्या 1, 2 के पिता श्री देवीलाल द्वारा ही बैंक से ऋण प्राप्त किया गया और विपक्षी संख्या 1 द्वारा भी ऋण प्राप्त कर उसकी पुर्नअदायगी कर दी गयी, साथ ही यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रार्थीगण को हस्तगत आराजी संख्या 971 व 972 के सीमाओं का सम्यक ज्ञान नहीं है क्योंकि उनका मौके पर कभी भौतिक आधिपत्य नहीं होकर उसका उपयोग उपभोग उनके द्वारा नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में विवाद की विषयवस्तु का सुविधा संतुलन भी विपक्षीगण के हक में हैं।

23. यह कि जहां तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है प्रार्थीगण ने एक खाम कागज पर लिखी गयी फर्जी ईबारतो के आधार पर मौजा नुरडा की आराजी संख्या 971 व 972 का विक्रय अपने हक में होने का कथन कर हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है लेकिन उक्त लिखतम में न तो आराजी संख्या लिखी हुई है ना ही चिन्हित कोई पडौसों का अंकन है जबकि तथाकथित जमीन के जिस पडौसों का अंकन लिखतम में किया गया है उस पडौसान के बीच उपरोक्त आराजी संख्या 971 व 972 स्थित नहीं है ऐसी स्थिति में एक अनरजिस्टर्ड, अनस्टाम्पड लिखतम के आधार पर प्रार्थीगण न्यायालय से कोई इमदाद प्राप्त करने के हकदार नही है, साथ ही यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रार्थीगण का मौके पर कभी भी भौतिक आधिपत्य नहीं रहा है और न ही इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है जबकि वादग्रस्त आराजीयात 971 व 972 विपक्षीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों के खाते में अंकित होकर मौके पर उनका भौतिक आधिपत्य चला आ रहा है इस बात की पुष्टि विपक्षीगण के पिता द्वारा प्राप्त किये गये भूमि विकास बैंक के ऋण व उसकी अदायगी एवं विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्राप्त ऋण व उसकी अदायगी से होती है साथ ही उक्त भूमि के एक भाग को वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

2012 में विपक्षीगण के भ्राता श्री भवानीशंकर ने अपने हिस्से को जमनाशंकर को विक्रय कर दिया और मौके पर जमनाशंकर का भी अपने हिस्से पर कब्जा होकर काश्त करना यह साबित करता है कि हस्तगत भूमि पर प्रार्थीगण का कभी आधिपत्य नहीं रहा है न ही प्रार्थीगण द्वारा कभी भी उक्त भूमि के लगान की अदायगी ही की गयी है विशेष यह भी कि प्रार्थीगण 90 वर्ष पूर्व उक्त भूमि को पूर्ण प्रतिफल अदा कर क्रय करना जाहिर करते है लेकिन इन वर्षों के दौरान मावली तहसील में कृषि भूमि की दो बार पैमाईश होने के बावजूद प्रार्थीगण या उनके पूर्वाधिकारी द्वारा कभी भी उक्त भूमि विपक्षीगण के नाम पर होने के बावजूद कोई उजर ऐतराज नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी संख्या 971 व 972 को प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों द्वारा कभी क्रय नहीं की गयी और न ही कोई कब्जा प्राप्त किया गया जबकि विपक्षीगण ने यह तथ्य निर्विवाद साबित कर दिया है कि उक्त आराजीयात विपक्षीगण के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की होकर शांतिपूर्वक विपक्षीगण उसका उपयोग उपभोग कर रहे है, ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर विपक्षीगण के पक्ष में होने से यदि प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका एवजाना नकदी में कतई सम्भव नहीं हैं।

24. यह कि इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तथाकथित लिखतम से भी कही स्पष्ट नहीं है कि विपक्षीगण के पूर्वाधिकारियों द्वारा मौजा नूरडा की आराजी संख्या 971, 972 को प्रार्थीगण या इनके पूर्वाधिकारियों को विक्रय कर मौके पर भौतिक आधिपत्य सुपुर्द किया हो और विधि अनुसार भी अनरजिस्टर्ड, अनस्टाम्पड लिखतम साक्ष्य ग्राह्य नहीं होकर इस स्टेज पर उक्त लिखतम का कोई औचित्य नहीं हैं। जहां तक भौतिक आधिपत्य का प्रश्न है विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत अपने दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में विपक्षीगण के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की होकर उक्त आराजी भूमि पर विपक्षीगण वर्षों कदीम से कृषि कार्य कर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा समय समय पर विपक्षीगण एवं उनके पिता श्री देवीलाल जी द्वारा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंको से उक्त आराजीयात पर ऋण प्राप्त कर उसका पुर्नभुगतान किया गया है यहीं नहीं प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व पुलिस थाना घासा में दर्ज करायी गयी झूठी कार्यवाही में भी पुलिस थाना घासा के जांच अधिकारी द्वारा यह मानते हुए कि वादग्रस्त आराजीयात पर विपक्षीगण द्वारा ज्वार की फसल बोई गयी थी तथा प्रार्थीगण ने केवल मात्र अपने विधिक सलाहकारो से मिलीभगत कर झूठी कार्यवाही विपक्षीगण के विरूद्व पेश की ऐसी अवस्था में जांच अधिकारी द्वारा अदम वकुआ झूठा में न्यायालय के समक्ष [illegible]र. भी पेश की गयी है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी[illegible] पर विपक्षीगण का आधिपत्य चला आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

रहा है, ऐसी स्थिति में खातेदार काश्तकार जो कि मौके पर आधिपत्यधारी है के विरूद्व किसी भी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत यह लिखित बहस रिकॉर्ड पर ली जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को सव्यय निरस्त फरमाया जावें। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अपनी बहस में समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2013-14 (Supp.) Page 285, RRT 2014 (2) Page 835, RRT 2013 (2) Page 828, RRT 2013 (2) Page 832, RRT 2015(1) Page 633, RRT 2011-12 (Supp.) page 217, RRT 2013 (1) Page 123 पेश किये।

25. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की लिखित बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी संख्या 1 के पिता, प्रार्थी संख्या 2 एवं विपक्षी संख्या 1, 2, 4, 5, 11, 13 से 16, 18 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि में से 1/3 हिस्सा प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 3 के पूर्वज छगनलाल पिता जोतराम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में विपक्षी संख्या 1 से 3 के मौरूस के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी। प्रार्थीगण द्वारा छगनलाल के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से 1/3 हिस्सा क्रय करना बताया हैं परन्तु उक्त विक्रय का नामान्तरकरण पारित नहीं होने से उक्त वादग्रस्त भूमि विरासत के आधार पर छगनलाल के वारिसों के नाम दर्ज हो गई। अतः प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।
2. *अपूरणीय क्षति—* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी संख्या 1 के पिता, प्रार्थी संख्या 2 एवं विपक्षी संख्या 1, 2, 4, 5, 11, 13 से 16, 18 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में से विपक्षी संख्या 1 से 3 के मौरूस छगनलाल से प्रार्थीगण के मौरूस द्वारा 1/3 हिस्सा क्रय करना बता रहे है। परन्तु छगनलाल के वारिसान द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थी को बेदखल कर देते है या भूमि को विक्रय कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shri Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

3. ***सुविधा का संतुलन–*** प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

26. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा नूरडा पटवार हल्का नूरडा तहसील मावली हाल घासा की आराजी नम्बर 971, 972 किता 2 कुल रकबा 3.2942 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी संख्या 1 के पिता, प्रार्थी संख्या 2 एवं विपक्षी संख्या 1, 2, 4, 5, 11, 13 से 16, 18 व अन्य सहखातेदार के नाम पर हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में विपक्षी संख्या 1 से 3 के मौरूस छगनलाल के नाम दर्ज थी एवं छगनलाल की मृत्यु के पश्चात् वारिसों के नाम विरासत से दर्ज हुई। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि उभय पक्षकारान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के मौरूस द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 3 के मौरूस से 1/3 हिस्सा क्रय करना बताया हैं। भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। विपक्षी संख्या 1 से 3 को पाबंद नही किया जाता है तो उनके द्वारा भूमि का विक्रय कर देने से प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होंगी। प्रकरण में दिनांक 18.08.2022 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 1 से 9 एवं 18 को मूल वाद के निस्तारण तक मौजा नूरडा पटवार हल्का नूरडा तहसील मावली हाल घासा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नम्बर 971, 972 किता 2 कुल रकबा 3.2942 हेक्टेयर भूमि के राजस्व मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:11 IST
Reason: SelfAttested